

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला-जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2021

अपीलान्टस

रेस्पोंडेंटस

1. नरेश कुमार पुत्र प्रतापाराम
जाति कोली निवासी धानोल
तहसील रानीवाडा
2. बदराराम पुत्र खगाराराम
जाति मेघवाल निवासी
भालनी तहसील बागोड़ा
जिला जालोर

ग्राम पंचायत जाखड़ी जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत जाखड़ी
तहसील रानीवाडा

म्युटेशन अपील ग्राम पंचायत जाखड़ी बनाराजगी म्युटेशन संख्या 130 दिनांक 05.01.2021

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।

—: निर्णय :-

दिनांक – 22.10.2021

1. अपीलान्टस द्वारा रेस्पोंडेंटस के विरुद्ध एक म्युटेशन संख्या 130 दिनांक 05.01.2021 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चारणवास तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.36 हेक्टेयर आराजी में से अपीलान्ट संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्स जरिये पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज दिनांक 12.10.2020 के कीमतन खरीद किया था। जिसके आधार पर अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष में म्युटेशन संख्या 130 दिनांक 05.12.2020 को भरा गया तथा स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत जाखड़ी में पेश किया गया। जो ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 05.01.2021 के जरिये अस्वीकृत/खारीज किया गया। जिससे आहत होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील पर पेश कि गई है, जिसमें ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 130 को खारीज करने से पूर्व न तो मौके का कब्जा देखा गया तथा न ही अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त म्युटेशन संख्या 130 खरीददार का मौके पर कब्जा नहीं होने तथा बाहरी व्यक्ति खरीददार होने के आधार पर गलत रूप से खारीज किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा म्युटेशन संख्या 130 को खारीज करने में भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है। व ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा म्युटेशन संख्या 130 को खारीज करते वक्त अपीलान्टस संख्या 2 के पक्ष में निष्पादीत पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलान्टस संख्या 2 उक्त आराजी पर वक्त खरीद से काबिज हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा म्युटेशन संख्या 130 को विधि विरुद्ध तरीके से खारीज किया गया है। इसलिये ग्राम पंचायत जाखड़ी का आदेश दिनांक 05.01.2021 काबिज खारीज है। ग्राम पंचायत जाखड़ी द्वारा



म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा उक्त म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज करने की तमाम कार्यवाही अपीलान्टस के पीठ पीछे की गई, जिससे अपीलान्ट को उक्त म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज करने की जानकारी नहीं हुई। दिनांक 29.01.2021 को अपीलान्टस हल्का पटवारी के पास उक्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड की नकल लेने गये तो अपीलान्टस को प्रथम बार उक्त म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज करने की जानकारी हुई। इसलिये उक्त म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज करने की जानकारी से अपीलान्टस की अपील अंदर म्याद पेश है। विकल्प में निवेदन है कि यदि अपीलान्टस की अपील अंदर म्याद नहीं माना जावे तो निवेदन है कि अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति हैं तथा अपीलान्टस अनपढ व्यक्ति हैं। इसलिये अपीलान्टस की अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है।

2. अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत जाखडी के आदेश दिनांक 05.01.2021 जिसके जरिये मौजा चारणवास के म्यूटेशन संख्या 130 को खारीज किया गया को अपास्त कर अपीलान्टस संख्या 2 के पक्ष में मौजा चारणवास तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.36 हेक्टेयर आराजी बाबत निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 12.10.2020 के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।
3. अपीलान्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोंडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोंडेण्टस की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत म्यूटेशन अपील बैचान दस्तावेज के नामान्तरकरण से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलान्टस को उक्त आराजी की जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने जाने पर दिनांक 29.01.2021 को हुई। ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा ना0 क0 संख्या 130 अस्वीकृत/खारीज करते समय अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश में रहने व अनपढ है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।
5. हमने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलान्टस द्वारा बैचान दस्तावेज पंजीबद्ध दिनांक 12.10.2020 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्ता ने कृषि भूमि को बैचान की गयी है, जिसमें बैचानकर्ता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

“ मुझ नरेशकुमार पुत्र प्रतापाराम जाति कोली निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर ने सरहद मौजा चारणवास पटवार मण्डल जाखडी तहसील रानीवाडा में स्थित मेरी संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.36 हेक्टेयर में से मेरे सम्पूर्ण 1/18 हिस्से अर्थात 0.02 हेक्टेयर की सम्पूर्ण आराजी का बैचान आज रोज आप खरीददार बगदाराम पुत्र खंगाराराम जाति मेघवाल निवासी भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर वालो को बएवेज

रूपये 10000 से विक्रय फरौक्त कर दिया गया है। उपरोक्त बैचान की गई सम्पूर्ण खातेदारी आराजी के मौके पर आपका कब्जा काश्त मौके पर मेरे तमाम हक हकूको सहित आज रोज से बहैसियत मालिक करवा दिया गया है। अब उक्त आराजी आपकी सम्पति है।

6. उक्तानुसार बैचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 130 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 130 दिनांक 5.12.2020 को खेला गया जिस पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.12.2020 को जांच कर बैचान दस्तावेज अनुसार इन्द्राज सही पाया की टिप्पणी की गई तथा दिनांक 05.01.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा पंचायत बैठक 05.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 4 अनुसार खरीददार का मौके पर कब्जा काश्त नही होने व बाहरी व्यक्ति खरीददार होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 130 को आज दिनांक 05.01.2021 को अस्वीकृत/खारीज किया गया है।
7. उक्त इन्द्राज के आधार पर उक्त बैचान दस्तावेज का नामान्तरकरण अस्वीकृत/खारीज किया गया है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया व नही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया। तथा न ही न्यायालय हाजा में सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 130 विधिक त्रुटि का होने से उक्त नामान्तरण संख्या 130 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :-

8. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत जाखडी द्वारा नामान्तरण संख्या 130 अस्वीकृत/खारीज दिनांक 05.01.2021 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 130 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 202003439101436 दिनांक 12.10.2020 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तरकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा